

रक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 21
रक्षा पेंशन

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	15564.00	15564.00	...	20233.20	20233.20	...	21790.00	21790.00	
पूंजी	
जोड़	...	15564.00	15564.00	...	20233.20	20233.20	...	21790.00	21790.00	
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ										
थल सेना	2071	...	13994.90	13994.90	...	18243.88	18243.88	...	19660.57	19660.57
नौ सेना	2071	...	502.94	502.94	...	643.01	643.01	...	689.71	689.71
वायु सेना	2071	...	1060.11	1060.11	...	1340.26	1340.26	...	1433.67	1433.67
2. पुरस्कार - थल सेना, नौ सेना और वायु सेना	2071	...	6.05	6.05	...	6.05	6.05	...	6.05	6.05
कुल जोड़		...	15564.00	15564.00	...	20233.20	20233.20	...	21790.00	21790.00

(करोड़ रुपए)

रक्षा पेंशन में तीन सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (जिनमें असैनिक कर्मचारी भी शामिल हैं) और साथ ही आयुध कारखानों आदि के कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी प्रभारों का प्रावधान किया गया है। इसमें सेवा पेंशन, उपदान, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन के संराशीकृत मूल्य, अवकाश नकदीकरण तथा हताहत होने पर दिए जाने वाले पुरस्कारों जैसे युद्ध में चोट लगने पर दिए जाने वाले वेतन

और साथ ही परमवीर चक्र, महावीर चक्र इत्यादि जैसे वीरता पुरस्कारों के लिए प्रावधान किया गया है।

2. सं.अ. 2008-09 तथा 2009-10 में प्रावधान में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति है।